



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 56035

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 1682/2026

कृष्णा @ किशन

..... पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... प्रतिपक्षी(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) के अधिवक्ता : हरीश चंद्र, पवन कुमार शुक्ला

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद

1. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका मामला अपराध संख्या 156/2021 में और धारा 147, 148, 352, 302/149 भा.द.सं. के तहत थाना नंदग्राम, जिला फिरोजाबाद में दर्ज मामले से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 264/2021 (राज्य बनाम चतर सिंह और अन्य) में पारित दिनांक 06.02.2026 के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है।
3. पुनरीक्षण याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि एफआईआर धारा 147, 148, 149, 452, 302, 34 भा.द.सं. के अंतर्गत (1) चतर सिंह, (2) गौरव, (3) लावी, (4) हर्ष उर्फ सोनू, (5) नरेंद्र उर्फ लाला, (6) कृष्णा, (7) रविंद्र, (8) सुनीता और (9) पूजा के विरुद्ध दर्ज की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि उक्त एफआईआर में याचिकाकर्ता को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि जांच पूरी होने के बाद याचिकाकर्ता को निर्दोष पाया गया और उसके खिलाफ कोई आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आगे यह भी कहा गया है कि निचली अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ता को तलब किया। आक्षेपित आदेश पूरे तथ्यों और साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन किए बिना पारित किया गया है। याचिकाकर्ता को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है और निचली अदालत ने उसे झूठा तलब किया है। यह भी कहा गया है कि पक्षों के बीच कई मुकदमे लंबित हैं, जिनमें मामला अपराध संख्या 1687/2020 और मामला अपराध संख्या 142/2021 शामिल हैं और यह आरोप लगाया गया है कि वर्तमान अपराध उन मामलों के निस्तारण के लिए अनुचित दबाव बनाने के लिए किया गया है।

5. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आगे कहा कि जांच के दौरान याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई सबूत नहीं था और न ही उसके खिलाफ कोई आरोपपत्र दाखिल किया गया था। उन्होंने बताया कि पी.डब्लू 1, गजेंद्र सिंह की पत्नी गीता से पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने याचिकाकर्ता की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई। हालांकि, श्रीमती गीता (पी.डब्लू 1) ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता अन्य सह-आरोपियों के साथ उनके घर में घुस आया और उनके पति का अपहरण करने और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि सभी आरोपी उनके पति को ले गए, और उसके बाद चतर सिंह के घर पर घटना घटी, जहां चोटों के कारण उनके पति की मृत्यु हो गई।

6. हरीश वर्मा, प्रशांत और नाबालिग बेटी को क्रमशः पी.डब्लू 2, पी.डब्लू 3 और पी.डब्लू 4 के रूप में गवाही के लिए पेश किया गया। सभी ने अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन किया और आरोपी के खिलाफ अपने बयान दर्ज कराए। हालांकि, इस स्तर पर ऐसे साक्ष्यों का कोई अंतिम मूल्यांकन या व्याख्या करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे आरोपी को नुकसान हो सकता है और यह निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होगा।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य, AIR 2014 SC 1400** में दिए गए कानून, विशेष रूप से अनुच्छेद 98 और 99 पर भरोसा किया है, जो नीचे दिए गए हैं:

*"98. धारा 319 Cr.PC के तहत शक्ति विवेकाधीन और असाधारण शक्ति है।
इसका प्रयोग संयम से और केवल उन्हीं मामलों में किया जाना चाहिए जहां मामले
की परिस्थितियां इसकी अनुमति देती हों। इसका प्रयोग इसलिए नहीं किया जाना*

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चाहिए क्योंकि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश की राय है कि कोई अन्य व्यक्ति भी उस अपराध का दोषी हो सकता है। केवल तभी जब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों से किसी व्यक्ति के विरुद्ध मजबूत और ठोस साक्ष्य प्राप्त हों, तभी ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि लापरवाही और मनमाने ढंग से इसका प्रयोग किया जाना चाहिए।

99. इस प्रकार, हम मानते हैं कि यद्यपि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों से केवल प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया जाना है, जिसे जरूरी नहीं कि जिरह के आधार पर परखा जाए, इसके लिए मात्र संभावना से कहीं अधिक मजबूत साक्ष्य की आवश्यकता होती है। जिस परीक्षण को लागू किया जाना है, वह प्रथम दृष्टया मामले से कहीं अधिक है, जैसा कि आरोप तय करते समय किया गया था, लेकिन इस हद तक संतुष्टि से कम है कि यदि साक्ष्य का खंडन न किया जाए, तो दोषसिद्धि हो जाएगी। ऐसी संतुष्टि के अभाव में, न्यायालय को धारा 319 द.प्र.सं. के तहत शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए। धारा 319 द.प्र.सं. में 'यदि साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने, जो आरोपी नहीं है, कोई अपराध किया है' का प्रावधान करने का उद्देश्य "जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर आरोपी के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है" शब्दों से स्पष्ट है। प्रयुक्त शब्द 'जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है' नहीं हैं। इसलिए, धारा 319 द.प्र.सं. के तहत कार्य करने वाले न्यायालय के पास आरोपी के अपराध के संबंध में कोई राय बनाने का कोई अवसर नहीं है।

8. धारा 319 द.प्र.सं. के तहत आरोपी को तलब करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून स्पष्ट और विशिष्ट है। यह सत्य है कि पुनरीक्षणकर्ता का नाम एफआईआर में था; हालांकि, जांच के बाद उसके खिलाफ कोई आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि धारा 319 द.प्र.सं. के तहत किसी आरोपी को तलब करने के लिए, निचली अदालत के समक्ष दर्ज साक्ष्य पर विचार किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. विद्वान एजीए ने पुनरीक्षण का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि निचली अदालत द्वारा विवादित आदेश सही ढंग से पारित किया गया है। उन्होंने धारा 319 द.प्र.सं. पर भरोसा किया, जो इस प्रकार है:

10. विद्वान एजीए ने पुनरीक्षण का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि निचली अदालत द्वारा विवादित आदेश सही ढंग से पारित किया गया है। उन्होंने धारा 319 दंड प्रक्रिया का हवाला दिया, जो इस प्रकार है:-

"धारा 319 दंड प्रक्रिया अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति - (1) जहां किसी अपराध की जांच या मुकदमे के दौरान, साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने, जो आरोपी नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए उस व्यक्ति पर आरोपी के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है, तो न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए कार्यवाही कर सकता है जो उसने किया प्रतीत होता है।"

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह माना है, और विशेष रूप से हरदीप सिंह (उपरोक्त) मामले में संविधान पीठ के फैसले में, कि मुकदमे के दौरान दर्ज किए गए साक्ष्य को धारा 319 दंड प्रक्रिया के तहत आरोपी को तलब करने के लिए विचार किया जा सकता है।

12. दिनांक 7.5.2024 के आक्षेपित आदेश द्वारा पुनरीक्षणकर्ताओं को तलब करना निचली अदालत द्वारा मुकदमे के दौरान दर्ज किए गए बयानों का अवलोकन करने के बाद पारित किया गया था। विद्वान निचली अदालत ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **हरदीप सिंह (उपरोक्त), बृजेंद्र सिंह और अन्य बनाम राजस्थान राज्य; 2017 लॉ सूट एससी 484** के मामले में दिए गए कानून पर भी विचार किया। धारा 319 द.प्र.सं. के तहत आरोपी को तलब करने के लिए आवश्यक तत्व और शर्तें, जैसा कि हरदीप सिंह (उपरोक्त) में विस्तार से बताया गया है, जिससे विधिवत संतुष्ट भी हैं।

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **असीम अख्तर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य, 2024 आईएनसी 794** में यह धारित किया है कि किसी भी व्यक्ति की संलिप्तता, जिसे आरोपी के रूप में आरोपित किया जाना है, शिकायतकर्ता और अन्य अभियोजन गवाहों की जिरह के साथ या

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसके बिना तय की जा सकती है और अन्य गवाहों की जिरह से पहले धारा 319 द.प्र.सं. के तहत आवेदन पर निर्णय लेने का कोई आदेश नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **हरदीप सिंह (उपरोक्त)** में यह माना है कि धारा 319 द.प्र.सं. में प्रयुक्त शब्द "साक्ष्य" यह दर्शाता है कि "साक्ष्य" शब्द मुकदमे के दौरान दर्ज किए गए साक्ष्य तक ही सीमित है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत अभियुक्त को तलब करना सर्वविदित है, यह एक असाधारण शक्ति है, जिसका प्रयोग विवेकपूर्ण और संयम से किया जाना चाहिए और धारा 319 के तहत समन आदेश पारित करते समय न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि प्रथम दृष्टया मामले से अधिक कुछ बनता है या नहीं; केवल प्रथम दृष्टया मामला पर्याप्त नहीं है।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **ओमी बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2025) 2 एससीसी 621** के मामले में यह धारित किया है कि निचली अदालत किसी व्यक्ति को आरोपी के रूप में केवल उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही जोड़ सकती है, न कि आरोपपत्र या केस डायरी में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, क्योंकि आरोपपत्र या केस डायरी में निहित ऐसी सामग्री साक्ष्य नहीं मानी जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिव बरन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 1457** के मामले में यह धारित किया है कि निचली अदालत धारा 319 द.प्र.सं. के तहत अतिरिक्त आरोपी को तलब करने की शक्ति का प्रयोग केवल उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही कर सकती है, न कि जांच के दौरान एकत्रित किसी अन्य सामग्री के आधार पर कर सकती है।

15. संविधान पीठ ने **हरदीप सिंह (उपरोक्त)** के मामले में यह स्थापित कानून बनाया है कि निचली अदालत के समक्ष दर्ज साक्ष्य ही धारा 319 द.प्र.सं. के तहत आरोपी को तलब करने के लिए विचारणीय साक्ष्य है। साक्ष्य की प्रकृति प्रथम दृष्टया से अधिक होनी चाहिए। जिरह भी आवश्यक नहीं है। यदि मुकदमे के दौरान दर्ज किए गए साक्ष्य इतने पर्याप्त हैं कि यदि उनका खंडन न किया जाए तो वे उनकी दोषसिद्धि का कारण बन सकते हैं, जो कि धारा 319 द.प्र.सं. के तहत आरोपी को तलब करने के लिए पर्याप्त है।

16. उपरोक्त के मद्देनजर, आक्षेपित आदेश में न तो कोई अवैधता है और न ही कोई अनियमितता।

17. आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में कोई दम नहीं है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



18 मार्च, 2026

के.के. मौर्य

(न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद)

Translated Version. Not for Legal Use

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।